न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष.

निगरानी प्रकरण कमांक 3824–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–12–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 517/2013–14/अपील

.....

म0प्र0शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री
जल संशाधन संभाग अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती पानबाई पत्नी स्व0श्री श्यामलाल
2–पन्नालाल, कल्याण, भगवानदास पुत्रगण स्व.श्यामलाल
समस्त निवासीगण ग्राम वीरपुर तहसील व जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक
श्री आर0एस0गौड़, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 3/2/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम वीरपुर तहसील व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 359 रकबा 3 बीघा 9 विस्वा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण कमांक 166/1999 में दिनांक 15–09–2015 को आदेश पारित कर उक्त भूमि का अनावेदकगण को भूमिस्वामी घोषित किया गया है, परन्तु

राजस्व अभिलेख में अनावेदकगण का नाम दर्ज नहीं हुआ है, अतः उनका नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 67/2007–08/अ–16 दर्ज कर दिनांक 8–8–13 को आदेश पारित कर अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी दिनांक 26–8–14 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत् रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–12–2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया गया । साथ ही राजस्व अभिलेख में अमल किये जाने का आदेश भी दिया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में सिंचाई विभाग के नाम से दर्ज है और अनावेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सिंचाई विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सिंचाई विभाग पर बंधनकारी नहीं है, इसलिये सिंचाई विभाग की भूमि पर अपर आयुक्त द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि चूँकि प्रश्नाधीन भूमि सिंचाई विभाग की भूमि है और माननीय उच्च न्यायालय में सिंचाई विभाग पक्षकार नहीं था, अतः तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई, परन्तु उक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में विधि विपरीत कार्यवाकी की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण की पैतृक भूमि है, जिस पर उनके पूर्वज संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व से कृषि कार्य कर रहे थे । संहिता की धारा 162 में इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार की ऐसी भूमि जो कि अवधिकृत कब्जे में है, कलेक्टर द्वारा उस सीमा तक तथा प्रीमियम और पटटे के भाटक पर व्ययन की जायेगी । इसी कारण तहसीलदार ग्वालियर द्वारा अनावेदक कमांक 1 के पति को प्रश्नाधीन भूमि पटटे पर प्रदान की गई थी । अतः अनावेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी है ।

(2) माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा भी दिनांक 15–9–2005 को आदेश पारित करते हुये अनावेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी मान्य किया गया और उक्त आदेश में मध्यप्रदेश शासन पक्षकार था तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी रहा है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की आज दिनांक तक कोई अपील नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई थी, अतः तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर अनावेदकगण के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी डिक्री दिनांक 15–9–2005 जो कि प्रभाव में है, के पालन में अपर आयुक्त द्वारा अनावेदकगण का नामान्तरण करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।

(4) सिंचाई विभाग, मध्यप्रदेश शासन के कार्यपालन यंत्री श्री बी0के0गर्ग द्वारा दिनांक 15–3–2015 को स्पष्ट किया जा चुका है कि माननीय उच्च न्यायालय की डिक्री के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन

भूमि राजस्व अभिलेखों में सिंचाई विभाग के नाम से दर्ज है । माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यप्रदेश शासन केवल औपचारिक पक्षकार रहा है और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण अनावेदकगण एवं प्रीतम के मध्य प्रचलित रहकर निराकृत हुआ है, ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश सिंचाई विभाग पर बन्धनकारी नहीं है और सिंचाई विभाग की भूमि पर अनावेदकगण का नामान्तरण किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । इसी कारण तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण का नामान्तरण आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है और तहसीलदार के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाकर अनावेदकगण के पक्ष में नामान्तरण आदेश पाति करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि जब सिंचाई विभाग माननीय उच्च न्यायालय में पक्षकार ही नहीं था तब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश सिंचाई विभाग पर बंधनकारी ही नहीं है और उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में सिंचाई विभाग की भूमि पर अनावेदकगण का नामान्तरण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2014 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–08–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर